बिहार सरकार (राज्य स्कीम)

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–6/डी0(निर्माण)–02–03/2017 66

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 10.10.17

विषयः– **वर्ष 2014–15 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के Project Appraisal Committee की दिनांक–05.09.2014 को आयोजित बैठक एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–11015/18/2014–SG-II दिनांक–15.09.2014 द्वारा संविधान की धारा–275(1) के तहत स्वीकृत 5 (पाँच) 300 आसन वाले अनुसूचित जनजाति सह–शिक्षा (Co-ed) विद्यालय (1) किशनगंज (2) बांका (3) जमुई (4) भागलपुर एवं (5) बक्सर में विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों का निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य स्कीम से प्रति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों को 720 आसन वाले अनुसूचित जनजाति सह–शिक्षा (Co-ed) आवासीय विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹4924.50 लाख (उन्नचास करोड़ चौबीस लाख पचास हजार रू0) मात्र की व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :–**स्वीकृत**।

2– (i) वर्ष 2014–15 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के Project Appraisal Committee की दिनांक–05.09.2014 को आयोजित बैठक एवं पत्र सं0–11015/ 18/2014–SG-II दिनांक–15.09.2014 द्वारा संविधान की धारा–275(1) के तहत स्वीकृत 5 (पाँच) 300 आसन वाले अनुसूचित जनजाति सह–शिक्षा (Co-ed) विद्यालय **(1) किशनगंज (2) बांका (3) जमुई (4) भागलपुर एवं (5) बक्सर** में विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों का निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य स्कीम से आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों को 720 आसन वाले अनुसूचित जनजाति सह–शिक्षा (Co-ed) आवासीय विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

(ii) वर्ष 2014–15 में केन्द्र–प्रायोजित योजना के तहत संविधान की धारा–275(1) के अन्तर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–11015/4(4)/2016–Grants- दिनांक–22.02.2017 के आलोक में 5 (पांच) अनुसूचित जनजाति सह–शिक्षा (Co-ed) आवासीय विद्यालय के लिए 300 आसन वाले आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों का निर्माण के लिए प्रति विद्यालय ₹200.00 लाख (दो करोड़ रू0) अर्थात कुल **₹1000.00 लाख (दस करोड़)** की राशि व्यय करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

(iii) स्वीकृत 5 (पांच) 720 आसन वाले अनुसूचित जनजाति सह–शिक्षा (Co-ed) आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की लागत पर राज्य स्कीम से राशि व्यय करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

(iv) आवासीय विद्यालयों को चरणबद्ध रूप में 720 आसन वाले आवासीय विद्यालय के अनुरूप आधारभूत संरचना, 05 वर्षो के लिए रख–रखाव एवं फर्निशिंग कार्य के लिए भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना के पत्रांक–2043 (अनु0) दिनांक–29.06.2017 के आलोक में कुल ₹3483.00 लाख (चौतीस करोड़ तिरासी लाख रू0) मात्र की राशि का तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन प्रति विद्यालय ₹3483.00 लाख (चौतीस करोड़ तिरासी लाख रू0) अर्थात कुल ₹17415.00 (एक सौ चौहत्तर करोड़ पन्द्रह लाख रू0) राशि में से ₹16415.00 लाख (एक सौ चौसठ करोड़ पन्द्रह लाख रू0) राज्य स्कीम से व्यय करने की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है, साथ ही **वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹4924.50 लाख (उन्नचास करोड़ चौबीस लाख पचास हजार रू0) मात्र की व्यय की स्वीकृति दी जाती है।**

(v) प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में आगामी वित्तीय वर्षो में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति दी जाती है। ।

(vi) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के माध्यम से कराने की स्वीकृति दी जाती है।

3– इस योजना के लिए योजना मद के भवन निर्माण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से व्यय किया जायेगा।

(क) राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मांग सं0–44 मुख्य बजट शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण– उपमुख्यशीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लधु शीर्ष–102–आर्थिक विकास–उपशीर्ष–0201– अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास–संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त–विषय शीर्ष–0201.27.01–लधु कार्य–विपत्र कोड–44–2225021020201 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(ख) राज्य स्कीम के तहत **अनुसूचित जनजाति के** भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 मुख्य बजट शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–01–कार्यालय भवन–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना– उपशीर्ष–0104– अनुसूचित जनजाति के भवन–विषय शीर्ष–0104.53.01–मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–03–**4059017960104** के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5– इस राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना के पी0 एल0 ए0 खाता संख्या–238 में स्थानान्तरित करेगें। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना द्वारा राशि व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा एवं इसकी सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना के माध्यम से कराया जायेगा। आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य 720 आसन वाले आवासीय विद्यालय के अनुरूप आधारभूत संरचना, 05 वर्षो के लिए रख–रखाव एवं फर्निशिंग कार्य भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना के पत्रांक–2043 (अनु0) दिनांक–29.06.2017 के आलोक में तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन प्रति विद्यालय ₹3483.00 लाख (चौतीस करोड़ तिरासी लाख रू0) की दर से कराया जाएगा। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा आवासीय विद्यालयों के लिए संलग्न विवरणी–1 के अनुसार चयनित भूमि पर कराया जाएगा।

7– इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

8– इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–19.09.17 में मद संख्या–15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

9– इस प्रस्ताव पर संचिका सं0–6/डी0(निर्माण) 02–03/2017 के पृ0– टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

10– इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

11– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

9.10.17

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–6/डी0(निर्माण)–02–03/2017 66 पटना, दिनाक– 10.10.17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल संचिवालय विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, निगरानी विभाग/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना /अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबधित जिला कोषागार पदाधिकारी बिहार/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक, कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकरी/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

9.10.17

सरकार के सचिव।

विवरणी–1

अनुसूचित जनजाति सह–शिक्षा (Co-ed) आवासीय विद्यालय का निर्माण निम्नांकित जिलों में निम्नांकित स्थल पर भूमि उपलब्ध है:–

क्रमांक	जिला का नाम	भूमि की विवरणी
1	जमुई	बरहट अचंल अन्तर्गत मौजा–कटौना, थाना नं0–22, खाता नं0–458, खेसरा न0–2640 रकवा– 5.00 एकड़(पाँच एकड़)
2	बक्सर	केसठ अचंल अन्तर्गत मौजा–रामपुर, थाना नं0–329, खाता नं0–253, खेसरा न0–448 एवं 449 रकवा– 3.00 एकड़(तीन एकड़)
3	भागलपुर	पीरपैंती अचंल अन्तर्गत मौजा–खबासपुर दियारा, थाना नं0–529, खाता नं0–5584, खेसरा न0–4118 रकवा– 5.00 एकड़(पाँच एकड़)
4	किशंनगंज	किशनगंज अचंल अन्तर्गत मौजा–हालामाला, थाना नं0–01, खाता नं0–781, खेसरा न0–5462,5474,5472,5473 एवं 5471 रकवा– 4.85 एकड़ (चार एकड पचासी डिसमिल)
5	बांका	चादन अचंल अन्तर्गत मौजा–कटसकरा, टोला–तारकुरा थाना नं0–115/5, खाता नं0–15, खेसरा न0–821 रकवा–5.00 एकड़(पाँच एकड़)

पत्रांक–66 दिनांक–10.10.17 का अनुलग्नक ।

9.10.17
सरकार के सचिव।

sanction 5 ST School 2017-18